UPRTOU

UPRTOU

उ० प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
प्रयागराज

FAQs

सम्भावित समस्याएँ एवं समाधान

Published by :

CENER FOR INTENAL QUANTITY ASSURANCE

U.P. Rajarshi Tandon Open University, Prayagraj

Sector-F, Shantipuram Phaphamau, Prayagraj

Phone : 0532-2447035 www.uprtou.ac.in

Toll Free No. : 1800-120-111-333

आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ (CIQA)

CIQA PUBLICATION

U. P. Rajarshi Tandon Open University, Prayagraj

Toll Free No. : 1800-120-111-333

उ० प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
प्रयागराज

"सम्भावित समस्याएँ एवं समाधान"

आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ (CIQA)

उ. प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
प्रयागराज
पिन – 211021 (उ.प्र.)

उ.प्र.राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

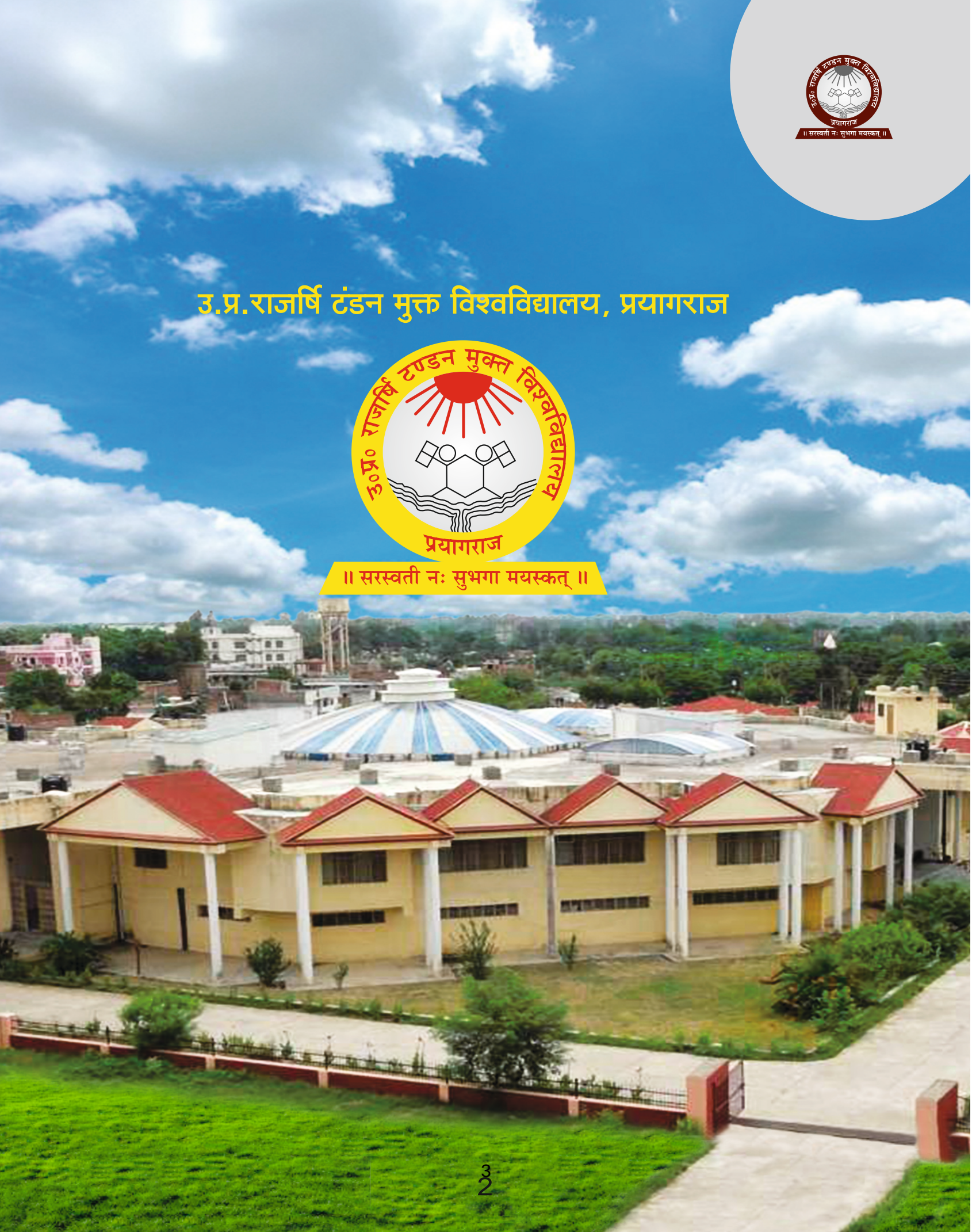

कुलपति
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
प्रयागराज

संदेश

उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ (सी.आई.क्यू.ए.) द्वारा लिखित एवं प्रकाशित पुस्तक "सम्भावित समस्याएँ एवं समाधान" के विमोचन के अवसर पर मुझे यह संदेश लिखने में हर्ष हो रहा है। सन् 1999 में स्थापित राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय उ0प्र0 का एक मात्र मुक्त विश्वविद्यालय है जो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रहा है।

उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना अधिकाधिक जनसमुदाय में शिक्षा एवं ज्ञान के प्रसार में अभिवृद्धि के उद्देश्य से की गयी है। संसाधनों की कमी एवं उच्च शिक्षा की बढ़ती माँग ने दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को अनिवार्य विकल्प के रूप में प्रतिष्ठापित किया है। केन्द्र एवं राज्य सरकार मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित कर उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ एवं व्यापक बनाने के लिए निरन्तर प्रयासरत है।

विश्वविद्यालय के शिक्षार्थियों को सूचना एवं संचार तकनीकी (ICT) के माध्यम से नित्य नवीन जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए स्व–अध्ययन सामग्री को संवर्धित किया जा रहा है। वहीं ई–लर्निंग, ई–लाइब्रेरी एवं ई–लैब का भी संकल्प साकार करने की योजना है। तकनीकी शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए मोबाइल, इन्टरनेट तथा ई–मेल का अधिक से अधिक प्रयोग शिक्षार्थियों के लिए आसान बनाया जा रहा है।

मुक्त विश्वविद्यालय को रोल मॉडल के रूप में सामने लाने के लिए कई नई योजनाएं साकार रूप ले रही हैं। जिसमें ऑनलाइन प्रवेश से लेकर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने तक की रूपरेखा तय की जा रही है। दूरस्थ शिक्षा आज अनिवार्य आवश्यकता बनती जा रही है। यह विश्वविद्यालय प्रदेश में उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करते हुए रोजगारपरक तथा बहुआयामी शिक्षा प्रदान करने हेतु कटिबद्ध है। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय बारह क्षेत्रीय केन्द्रों तथा 1000 से अधिक अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से 127 कार्यक्रम संचालित कर रहा है। हर्ष का विषय है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित उपाधि, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), दूरस्थ शिक्षा परिषद् (DEC) एवं अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् (AICTE), नई दिल्ली की संयुक्त समिति ने मान्यता प्रदान की है। अतः छात्रों को इस विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों की मान्यता के विषय में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए।

छात्रों की असीमित सम्भावित समस्याएँ होती हैं। दूरस्थ शिक्षा पद्धति से जुड़ने के पूर्व कई तरह के संशय छात्रों के मन को उद्वेलित करते रहते हैं, इन्हीं जिज्ञासाओं और संशयों को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय ने पहली बार "सम्भावित समस्याएँ एवं समाधान" पुस्तिका का प्रकाशन किया है। आशा है कि यह पुस्तिका विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थियों के लिए परामर्श का कार्य करेगी। यह पुस्तिका दूरस्थ शिक्षा में रूचि रखने वाले शिक्षार्थियों, अभिभावकों, समाजसेवियों, अधिकारियों प्राध्यापकों एवं कार्यरत व्यक्तियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे आशा ही नहीं, वरन् पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तिका दूरस्थ शिक्षा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुचाँने में सफल सिद्ध होगी। अंत में, मैं इस पुस्तिका के सफल प्रकाशन के लिए सम्पादक मण्डल को साधुवाद देती हूँ।

प्रो0 सीमा सिंह
कुलपति

सम्पादकीय

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज, प्रयागराज

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रदेश का एक मात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। मुक्त विश्वविद्यालय की कार्यशैली परम्परागत विश्वविद्यालयों से सर्वथा भिन्न होती है। परम्परागत विश्वविद्यालयों में नियमित कक्षाओं का आयोजन होता है एवं परीक्षा भी वर्ष के अन्त में आयोजित कराई जाती है। जबकि इस विधा के अन्तर्गत नियमित कक्षाओं के स्थान पर सीमित संख्या में परामर्श–सत्रों का आयोजन किया जाता है। परीक्षाएँ वर्ष में दो बार आयोजित होती हैं। प्रवेश, पाठ्य–सामग्री, परामर्श, अधिन्यास, परीक्षा एवं अन्य शिक्षार्थी उद्देश्य से तथा शिक्षार्थी जनमानस के मन मस्तिष्क में उठने वाले सवालों के जवाब एवं समाधान के लिए एक सूचना पुस्तिका प्रकाशित करने का विचार आया। इस पुस्तिका में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रत्येक संभावित समस्या एवं प्रत्याशा के प्रश्नों को समाविष्ट किया गया है, जिसे पढ़कर शिक्षार्थी अपने संशय को संतुष्ट कर सकें। विश्वविद्यालय का इस दिशा में यह नवीनतम एवं उत्कृष्ट प्रयास है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस उद्देश्य के निमित्त इसका प्रकाशन किया जा रहा है, उसके लाभदायी एवं सार्थक परिणाम सामने आयेंगे। इस पुस्तिका को प्रकाशित करने में निरन्तर सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ कुलपति महोदय के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता है।

इस पुस्तिका के प्रकाशन में शिक्षकों, परामर्शदाताओं, पुस्तकालयाध्यक्ष, वित्त अधिकारी एवं कुलसचिव के महत्त्वपूर्ण सुझावों के लिए भी आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ हार्दिक आभार प्रकट करता है। आशा है कि यह पुस्तिका अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सार्थक सिद्ध होगी।

(प्रो. आशुतोष गुप्ता)
उपनिदेशक

प्रो. ओमजी गुप्ता)
निदेशक

आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ

(CIQA)

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

विश्वविद्यालय : एक परिचय

सन् 1999 के अधिनियम 10 के अर्न्तगत उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज की स्थापना एक राज्य विश्वविद्यालय के रूप में हुई। इस विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख उच्च शैक्षणिक संस्थानों के बीच अपनी एक विशिष्ट पहचान बनायी है। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र व जागरूकता सम्बन्धी 127 कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। सम्पूर्ण प्रदेश में 12 क्षेत्रीय केन्द्रों व 1200 से अधिक अध्ययन केन्द्रों के द्वारा दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा के माध्यम से विभिन्न प्रकृति एवं स्तर के कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है।

दृष्टिकोण एवं लक्ष्य

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय समाज के सभी वर्गों के शिक्षार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं मूल्य आधारित उच्च शिक्षा प्रदान के प्रति कटिबद्ध है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल देना है।
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के लक्ष्य निम्नवत हैः

- शिक्षार्थियों में जीवन पर्यन्त सीखने की इच्छा जागृत करना।
- प्रत्येक के लिये उच्च शिक्षा को सुलभ एवं रहनीय बनाना।
- शिक्षार्थी केन्द्रित दूरस्थ शिक्षा पद्धतिका विकास जो कि उन्हें समुदाय के साथ जोड़ने में सहायक हो।
- ज्ञान समाज की उभरती हुई शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करना।
- दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों से समन्वय स्थापित करना।
- प्रावैगिक/पारस्परिक/शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिये पर्याप्त प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना।
- कौशलयुक्त श्रमशक्ति एवं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्योग एवं सामाजिक संगठनों के सहयोग से व्यवसायिक कार्यक्रमों को विकसित करना।

इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान रखती हैः

• सामंजस्य	• सम्मान	• समावेश	• सृजनात्मकता
• खुलापन	• प्रतिष्ठा	• सामाजिक जिम्मेदारी	• संस्कृति
• सहयोग	• वार्तालाप	• लचीलापन	

यह विश्वविद्यालय दूरस्थ और मुक्त शिक्षा के माध्यम से अपने समस्त शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन तथा अन्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के बुनियादी ढांचे का उपयोग करके अपने कार्यक्रमों को सुलभ एवं सुगम बनाता है। साथ ही समाज के वंचित वर्गों, विकलांगों, सजायफ्ता कैदियों, ट्रांसजेण्डर छात्रों, घरेलू महिलाओं, सेवारत व्यक्तियों तथा दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों तक उच्च शिक्षा का प्रकाश उनके दरवाजे तक पहुँचाकर उनमें आशा और नवोत्साह का संचार कर रहा है।

विश्वविद्यालय की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैः–

- प्रवेश हेतु उम्र बंधन नहीं।
- कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों के चयन में लचीलापन।
- सेवारत व्यक्तियों के लिए उपयुक्त।
- क्रेडिट संचयन प्रणाली की उपलब्धता।

विकास/गाथा :

निम्नलिखित तालिका विश्वविद्यालय की स्थापना से कार्यक्रमों की संख्या, अध्ययन केन्द्रों की संख्या व नामांकन सम्बन्धी आँकड़े प्रस्तुत करती हैः–

सत्र	कार्यक्रम	अध्ययन केन्द्र	नामांकन
1999-2000	20	15	3343
2000-2001	30	28	3306
2001-2002	41	37	3054

2002-2003	38	47	4244
2003-2004	39	63	8315
2004-2005	42	81	8777
2005-2006	50	102	10962
2006-2007	61	198	15962
2007-2008	76	279	13754
2008-2009	81	252	17779
2009-2010	82	430	35223
2010-2011	90	449	41000
2011-2012	96	450	49239
2012-2013	73	531	24355
2013-2014	73	578	71825
2014-2015	83	564	31567
2015-2016	73	670	21103
2016-2017	96	707	46027
2017-2018	96	800	50102
2018-2019	107	1018	69903
2019-2020	127	1100	53248

विश्वविद्यालय की शिक्षण प्रणाली गतिविधियों के अन्तर्गत शिक्षार्थियों को स्वअध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना, असाइनमेंट के माध्यम से शिक्षार्थियों की समस्याओं का समाधान, परामर्श कक्षाएं संचालित करना साथ ही ऑनलाइन ई मैटेरियल तथा यूटूब के माध्यम से व्याख्यान देना आदि। प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थाओं के विषय–विशेषज्ञों द्वारा शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन व परामर्श कक्षाओं का आयोजन कराया जाता है। संगठनात्मक दक्षता व शैक्षणिक कार्यक्रमों के उन्नयन हेतु उच्च शिक्षा में नवीन पद्धति व नवाचार को अपनाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहा है।

शिक्षा में नवाचार को अपनाकर यह विश्वविद्यालय निरन्तर उच्च शिखर की ऊँचाईयाँ छू रहा है। ये नवाचार इस प्रकार हैः–

- शैक्षणिक सत्र को शुरू करने से पहले समय सारणी तैयार करना।
- विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु विश्वविद्यालयी समाचार पत्र, ई–मुक्त चिंतन का प्रकाशन।
- विषय विशेषज्ञों, परामर्शदाताओं, अभिभावकों व छात्रों से नियमित अंतराल पर प्रतिपुष्टि करना।
- अध्ययन केन्द्रों के समन्वयकों के साथ नियमित अंतराल पर बैठक करना।
- बी.एड/बी.एड (विशेष शिक्षा) में प्रवेश हेतु परामर्श प्रक्रिया का आयोजन।
- प्रवेश पत्र, उपस्थिति पत्रक व पहचान पत्र आदि के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग।
- त्वरित परीक्षा परिणाम हेतु केन्द्रीय मूल्यांकन।
- शैक्षणिक कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में प्रवेश पूर्व परामर्श।
- प्रवेश–प्रक्रिया, स्वअध्ययन सामग्री का वितरण तथा परीक्षा सम्बन्धी कार्यों का विवरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कराया जाना।
- परीक्षा परिणाम के साथ–साथ अंकपत्र, डिग्री, सर्टिफिकेट व डिप्लोमा हेतु कम्प्यूटरकृत प्रक्रिया।
- पूर्णतया ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया।
- विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम की उपलब्धता।
- क्षेत्रीय केन्द्रों एवं विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों की विभिन्न गतिविधियों का सतत पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण।
- विश्वविद्यालय परामर्शदाताओं एवं मूल्यांकनकर्ताओं के लाभार्थ समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन।

<u>प्रसार गतिविधियाँ</u>

विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ाने तथा राज्य के जनसामान्य को लाभान्वित करने के लिए शिक्षा प्रसार हेतु विभिन्न गतिविधियाँ आयोजन किया गया है। जिसमें से प्रमुख गतिविधियाँ निम्नवत हैः–

- शिक्षा की पारम्परिक प्रणाली के साथ ODL प्रणाली की सार्वजनिक स्वीकार्यता के लिए प्रयास किये जा रहे है।
- शिक्षार्थियों एवं सेवारत व्यक्तियों के लिए रोजगार उन्मुख कार्यक्रमों का संचालन।
- कोविड–19, नागरिक संशोधन अधिनियम, अन्त्योदय एवं योगा आदि जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन।

- स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन और भारत के महान विभूतियों द्वारा किये गये बलिदानों के बारे में युवाओं को जागरूक करने के लिए पी.डी. टण्डन स्मारक व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन।
- विश्व प्रदूषण दिवस, शिक्षक दिवस, मतदाता जागरूकता रैली अभियान, गांधी जयंती, पर्यावरण दिवस, एच.आई.वी. दिवस आदि विभिन्न महत्वपूर्ण दिवसों का आयोजन।
- उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों व ODL प्रणाली के बारे में जानकारी हेतु प्रचार–प्रसार के लिए कुम्भ मेला/माघ मेला में शिविर का आयोजन।
- ग्रामीण प्रसार गतिविधियों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा गाँवों को गोद लेना।
- गोद लिये गये गाँवों की महिला शिक्षार्थियों को आधी शुल्क मुक्ति देना।
- ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों, सजायफ्ता कैदियों एवं शहीदों के आश्रितों को पूर्ण शुल्क मुक्ति।

विशेष रूप से प्रवेश व त्वरित परीक्षा परिणाम हेतु ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षार्थियों की सभी सूचनाएं सुरक्षित/संग्रहित रहती हैं। डाक द्वारा शिक्षार्थियों को अध्ययन सामग्री पहुँचायी जाती हैं। शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए अधिन्यास विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जाते है।

यह विश्वविद्यालय वर्ष में दो बार प्रवेश लेता है जो कि जुलाई सत्र व जनवरी सत्र है। 'कोई भी, कभी भी, कहीं भी' के मूल सिद्धान्त पर यह विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय के बारे में 200 से अधिक सामान्य समस्याओं सम्बन्धित प्रश्नों के संग्रह के साथ CIQA द्वारा यह पुस्तिका तैयार की गयी है।

विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्याशाखाओं में सुसज्जित कक्षाएं, समृद्ध 'याज्ञवलक्य ग्रन्थालय' नामक पुस्तकालय एवं वाचनालय, स्वअध्ययन सामग्री प्रकोष्ठ, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, कुलपति कार्यालय, वित्त विभाग आदि सुविधाएं व्यवस्थित क्रम में है। विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है कि छात्रों को नवीनतम प्रयोग व तकनीकों से अधिकतम लाभान्वित किया जा सके। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर शिक्षार्थियों को प्रवेश हेतु नामांकन करने, शुल्क भुगतान करने स्वअध्ययन सामग्री डाउनलोड करने व परीक्षा परिणाम जानने जैसी सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध है।

विश्वविद्यालय की वेबसाइट को आकर्षक, छात्र के अनुकूल व जानकारी पूर्ण बनाया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय ने CIQA की स्थापना की है। नेशनल नॉलेज नेटवर्क के अन्तर्गत विश्वविद्यालय पूर्ण रूप वाईफाई और क्षेत्रीय नेटवर्किंग से जुड़ा है।

1. अनुक्रमणिका

1.	विश्वविद्यालय : परिचय एवं मान्यता	1-3
2.	प्रवेश	4-11
3.	स्व-अध्ययन सामग्री	12-13
4.	अधिन्यास	14-15
5.	परामर्श सत्र	16
6.	क्रेडिट प्रणाली	17
7.	परीक्षा	18-19
8.	परियोजना कार्य	20-21
9.	सेवा स्थापना	22
10.	उपलब्ध सुविधाएँ	23-24
11.	विश्वविद्यालय परिसर	25
12.	सूचना के स्रोत	26-28
13.	नामांकन, अध्ययन केन्द्र एवं कार्यक्रम में वृद्धि	29

2. विश्वविद्यालय : परिचय एवं मान्यता

1. उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कैसे और कब हुई?

➲ इस विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित अधिनियम के अधीन सन् 1999 ई. में हुई।

2. इस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है?

➲ उत्तर प्रदेश राज्य के महामहिम राज्यपाल।

3. विश्वविद्यालय के कुलाधिपति का नाम क्या है?

➲ महामहिम श्रीमती आनन्दीबेन पटेल।

4. उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति का नाम क्या है?

➲ प्रो0 कामेश्वर नाथ सिंह।

5. उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय है या राज्य स्तरीय?

➲ राज्य स्तरीय।

6. क्या इस विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाण–पत्र कार्यक्रम संस्थागत विश्वविद्यालयों के समान ही मान्यता प्राप्त है?

➲ जी हाँ। यह विश्वविद्यालय भी अन्य पारम्परिक विश्वविद्यालय की तरह यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है। जिसकी सम्पूर्ण जानकारी यूजीसी द्वारा नीचे दिये गये लिंक से प्राप्त कर सकत हैं– https://www.ugc.ac.in/pdfnews/5628873_UGC-public-Notice---treating-all-degrees.pdf यूपीआरटीओयू द्वारा संचालित सभी कार्यक्रम व पाठ्यक्रम वैधानिक नियामक प्राधिकरण द्वारा (एस.आर.ए.) अनुमोदित व मान्यता प्राप्त है जैसे :–

- उ0 प्र0 राज्य सरकार।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (यू.जी.सी–डी.ई.बी.)
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.)
- भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.)
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.)

7. दूरस्थ शिक्षा क्या है?

➲ दूरस्थ शिक्षा ज्ञान और कौशल देने की एक विधा है। दूरस्थ शिक्षा में शिक्षार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा उसके घर व अन्य सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध करायी गयी अध्ययन सामग्री का अध्ययन करके शिक्षा पूरी कर सकता है। इस विश्वविद्यालय में अन्य पारम्परिक विश्वविद्यालयों की तरह से नियमित कक्षाएँ लेने की बाध्यता नहीं है।

8. कृपया अधिक सरल शब्दों में दूरस्थ शिक्षा को समझाएँ?

➲ दूरस्थ शिक्षा के अन्तर्गत सम्पूर्ण अध्ययन प्रक्रिया में स्व–अध्ययन सामग्री शिक्षण का आधार होती है। शिक्षक एवं शिक्षार्थी में दूरी होते हुए भी विभिन्न साधनों द्वारा उनके मध्य अल्पकालीन सम्पर्क स्थापित किया जाता है।

9. अच्छा, यानी कि यह पत्राचार शिक्षा है?

➲ बिल्कुल नहीं, दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत शिक्षार्थी को परामर्श सत्रों, प्रयोगात्मक कक्षाओं, पुस्तकालय में पढ़ने की सुविधा एवं अधिन्यास कार्य आदि के लिए अध्ययन केन्द्रों के सम्पर्क में रहना पड़ता है।

10. इस विश्वविद्यालय द्वारा कितने क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए गए हैं?

➲ बारह क्षेत्रीय केन्द्र, जो अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आने वालेअध्ययनन केन्द्रों तथा विश्वविद्यालय के बीच समन्वय स्थापित करेन हेतु कार्य करते हैं।

11. बारह क्षेत्रीय केन्द्र उत्तर प्रदेश के किन–किन जिलों में अवस्थित हैं?

➲ ये क्षेत्रीय केन्द्र प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, मेरठ, आगरा, नोएडा/गाजियाबाद, झांसी, कानपुर, अयोध्या एवं आजमगढ़ में अवस्थित है।

12. क्या भविष्य में किन्ही दूसरे जिलों में भी क्षेत्रीय केन्द्र खोलने की योजना है?

➲ जी हाँ, वर्तमान में दूरस्थ शिक्षा पद्धति की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण छात्रों की संख्या एवं अध्ययन केन्द्रों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अतः आवश्यकतानुसार नये क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना होती रहेगी।

13. विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली दूरस्थ शिक्षा के नियम और कानून क्या है?

➲ विश्वविद्यालय में संचालित मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पारित राजपत्र 04.09.2020 के अधिनियम 2020 के अधीन नियमों व कानूनों पर आधारित है। जिसे यू.जी.सी. की वेबसाइट पर देखा जा सकता है – https://www.ugc.ac.in/pdfnews/221580.pdf

14. दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र को विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों की मान्यता के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त कर सकता है?

➲ विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित कार्यक्रमों की मान्यता के बारे में छात्र यूजीसी की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/deb पर एक्सेस कर सकता है। कृपया विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अध्ययन केन्द्रों पर प्रवेश लेने से पूर्व यू. जी.सी. की वेबसाइट पर दी गई अधिसूचना अवश्य पढ़े–http://www.ugc.ac.in/deb/notices.html

हालाँकि शिक्षार्थी को ओ.डी.एल. सिस्टम में प्रवेश हेतु वर्तमान सत्र की एच.ई.आई. द्वारा दी गई मान्यता की पुष्टि कर लेनी चाहिए। क्योंकि पिछले वर्ष एच.ई.आई. द्वारा दी गई मान्यता अगले सत्र के मान्यता को इंगित नहीं करती।

15. विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता की प्रक्रिया क्या है?

➲ दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रमों की मान्यता हेतु संबंधित नियामक निकायों से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त विश्वविद्यालय के वैधानिक निकायों द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों को संचालित करने की पेशकश करना।

16. क्या छात्र तकनीकी शिक्षा (डिग्री) दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकता है?

➲ जी नहीं। यह विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से केवल MBA/MCA की शिक्षा (डिग्री) प्रदान करती है। BE/B.Tech जैसे कार्यक्रम दूरस्थ शिक्षा में संचालित नहीं की जाती है।

17. दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कौन–कौन सी व्यावसायिक कार्यक्रम संचालित किये जा रहें है?

➲ MBA, MCA B.Ed. और B.Ed. (Special) जैसे कार्यक्रम व्यावसायिक शिक्षा के रूप में संचालित हैं।

18. विश्वविद्यालय का प्रोदशिक क्षेत्राधिकार क्या है?

➲ सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

19. क्या छात्र दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पी–एच.डी कर सकता है?

➲ विश्वविद्यालय नियमित मोड के माध्यम से पी–एच.डी कार्यक्रम में प्रवेश प्रदान करता है।

3. प्रवेश

1. इस विश्वविद्यालय में यदि प्रवेश लेना हो तो इसकी जानकारी कैसे मिल पायेगी?

➲ प्रवेश से सम्बन्धित सूचनायें समाचार पत्रों, अध्ययन केन्द्रों, क्षेत्रीय केन्द्रों, मेला कैम्प आदि से तथा विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय की 'सूचना विवरणिका' एवं विश्वविद्यालय द्वारा संचालित 'वेबसाइट' से प्राप्त की जा सकती है।

2. इस विश्वद्यिालय में प्रवेश कब होता है?

➲ यू.पी.आर.टी.ओ.यू. में प्रवेश जुलाई एवं जनवरी में होता है।

3. क्या इस विश्वविद्यालय में एक वर्ष में दो बार प्रवेश लिया जाता है?

➲ जी हाँ, यहाँ जुलाई एवं जनवरी सत्र में प्रवेश लिया जाता है।

4. क्या सत्र 2020–21 से प्रवेश प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा रहा है?

➲ नहीं।

5. क्या सत्र 2019–20 में प्रवेश प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है?

➲ नहीं, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के उपरान्त अध्ययन केन्द्रों द्वारा सत्यापन किया जाता है।

6. दोनों सत्रों को किस नाम से सम्बोधित किया जायेगा?

➲ जुलाई सत्र और जनवरी सत्र।

7. कृपया दो सत्रों में होने वाली प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बताएं?

➲ शिक्षार्थी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uprtou.ac.in पर प्रवेश पैनल के होमपेज में दाहिने हाथ के शीर्ष पर जाकर प्रवेश सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करनी होगी।

8. क्या जुलाई सत्र में प्रवेशित शिक्षार्थी को द्वितीय वर्ष में जनवरी सत्र में प्रवेश लेने की छूट होगी?

➲ नहीं।

9. क्या इसी प्रकार जनवरी सत्र में प्रवेशित शिक्षार्थी को द्वितीय वर्ष में जुलाई सत्र में प्रवेश दिया जा सकता है?

➲ नहीं।

10. प्रवेश हेतु प्रवेश फार्म कहाँ से प्राप्त होते हैं?

➲ प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है।
विश्वविद्यालय की वेबसाइट http://www.uprtou.ac.in/admission_detail_info.php पर जाकर प्रवेश ले सकते है।

11. किसी कार्यक्रम के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में कब प्रवेश होता है?

➲ ऐसे शिक्षार्थी जिन्होंने प्रथम वर्ष के जुलाई सत्र में प्रवेश लिया हो, उन्हें अगले वर्ष जुलाई सत्र में निर्धारित तिथि तक और जिन्होंने जनवरी सत्र में प्रवेश लिया हो उन्हें जनवरी सत्र हेतु निर्धारित तिथि तक।

12. द्वितीय वर्ष के शिक्षार्थियों के लिए प्रवेश के लिए कोई विशेष सुविधा का प्रावधान है?

➲ हाँ है, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के शिक्षार्थियों को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश लेने की छूट है।

13. क्या बी.एड., बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा), एम.बी.ए. एवं एम.सी.ए. कार्यक्रमों के लिए भी विश्वविद्यालय की सूचना विवरणिका उपयोगी है?

➲ नहीं, इन कार्यक्रमों के लिए अन्य सूचना विवरणिका मुद्रित करायी जाती है।

14. इस विश्वविद्यालय द्वारा कितने कार्यक्रम संचालित हैं?

➲ इस विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विद्याशाखाओं में 127 कार्यक्रम संचालित है।

15. क्या संस्थागत विश्वविद्यालय में शिक्षारत रहते हुए शिक्षार्थी इस विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते है?

➲ जी हाँ, लेकिन उसी प्रकृति अर्थात् उसी स्तर के उपाधि, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र के कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं लिया जा सकता। किसी अन्य संस्था में अध्ययनरत रहने की सूचना इस विश्वविद्यालय को देनी अनिवार्य है। अन्य संस्था/विश्वविद्यालय में अध्ययनरत शिक्षार्थी निम्नानुसार ही कार्यक्रम का चयन कर सकता है:–

अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेशित शिक्षार्थी	उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु अनुमन्य विषय
स्नातक	एक डिप्लोमा या एक प्रमाण पत्र
परास्नातक	एक डिप्लोमा या एक प्रमाण पत्र
पी0 जी0 डिप्लोमा	एक प्रमाण पत्र
डिप्लोमा	एक डिग्री या एक प्रमाण पत्र
प्रमाण पत्र	एक डिग्री या एक डिप्लोमा

16. क्या शिक्षार्थी इस विश्वविद्यालय में एक साथ दो कार्यक्रमों में प्रवेश ले सकता है?

➲ हाँ, शिक्षार्थी स्नातक/परास्नातक के साथ एक डिप्लोमा या एक प्रमाण–पत्र तथा पी0जी0 डिप्लोमा के साथ एक प्रमाण–पत्र कार्यक्रम में प्रवेश ले सकता है। किन्तु दोनों कार्यक्रमों के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र भरना होगा।

17. कार्यक्रम चयन करने हेतु यदि कोई नियम अनुमन्य हो तो उसे भी बताएं?

➲ शिक्षार्थी को एक शैक्षिक सत्र में निम्नानुसार कार्यक्रम चयन करने की सुविधा अनुमन्य है–

- ♦ स्नातक कार्यक्रम के साथ एक डिप्लोमा या एक प्रमाण पत्र कार्यक्रम।
- ♦ परास्नातक कार्यक्रम के साथ एक डिप्लोमा या एक प्रमाण पत्र कार्यक्रम।
- ♦ डिप्लोमा के साथ एक प्रमाण पत्र कार्यक्रम।
- ♦ दो पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रम
- ♦ दो डिप्लोमा कार्यक्रम
- ♦ दो प्रमाण–पत्र कार्यक्रम

18. क्या इस विश्वविद्यालय से एक बार में एक साथ समान प्रकार के कार्यक्रमों में शिक्षार्थी प्रवेश ले सकता है?

➲ जी हाँ। दो पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रम, दो डिप्लोमा कार्यक्रम, दो प्रमाण–पत्र कार्यक्रम को एक बार में चयन कर सकते है।

19. क्या इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी कार्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु उम्र का कोई प्रतिबन्ध है?

➲ नहीं।

20. क्या इस विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञान वर्ग के कार्यक्रम संचालित है?

➲ हाँ।

21. विज्ञान वर्ग में स्नातक स्तर पर कौन सा कार्यक्रम संचालित है?

➲ बी.एस.सी. कार्यक्रम, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जैव रसायन, गणित, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सांख्यिकी विषय में संचालित है।

22. क्या रसायन विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, भौतिक विज्ञान व गणित विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर कार्यक्रम में प्रवेश हो सकता है?

➲ नहीं, स्नातकोत्तर स्तर पर ये विषय विश्वविद्यालय द्वारा संचालित नहीं है।

23. स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान कार्यक्रम में किन–किन विषयों की पढ़ाई होती है?

➲ स्नातकोत्तर स्तर पर सांख्यिकी, जैव रसायन व कम्प्यूटर विज्ञान में कार्यक्रम संचालित है।

24. क्या प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्यक्रम भी संचालित हैं?

➲ जी हाँ। एम.बी.ए., एम.कॉम, बी.बी.ए., बी.कॉम, पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रम में मार्केटिंग फाइनेंस, ह्यूमन रिर्सोस, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल मार्केटिंग एण्ड इ–बिजनेस, जी.एस.टी. आदि कार्यक्रम संचालित है।

25. एम.बी.ए. और एम.सी.ए. की प्रवेश प्रक्रिया क्या है?

➲ एम.बी.ए. और एम.सी.ए. कार्यक्रम में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लिया जाता है। एम.बी.ए. व एम.सी.ए. में प्रवेश हेतु नियम विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uprtou.ac.in पर दी गयी विवरणिका में उपलब्ध है। इन कार्यक्रमों में प्रवेश केवल जुलाई सत्र में होता है।

26. आपके विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी.एड./बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रमों की अवधि कितनी है।

➲ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी.एड. कार्यक्रम दो वर्ष एवं बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम दो वर्ष 6 महीने की अवधि होती है।

27. बी.एड. एवं बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया क्या है?

➲ बी.एड./बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लिया जाता है।

28. क्या विश्वविद्यालय मुख्य परिसर में बी.एड. कार्यक्रम के परामर्श सत्र संचालित होते हैं?

➲ नहीं।

29. बी.एड. कार्यक्रम संचालित करने वाले केन्द्र किन–किन जनपदों में स्थित है?

➲ प्रयागराज, कानपुर, अम्बेडकर नगर, बागपत, जौनपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा एवं लखनऊ में बी.एड. अध्ययन केन्द्र स्थित है।

30. बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम संचालित करने वाले केन्द्र किन–किन जनपदों में स्थित है?

➲ प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ एवं जौनपुर जनपद में स्थित है।

31. प्रयागराज जनपद में बी.एड. केन्द्र कहाँ स्थित है?

➲ चौधरी तुलसी राम यादव महाविद्यायल, धोसड़ा, तुलसीनगर एवं उपरदहा डिग्री कालेज, बरौत में स्थित है।

32. क्या बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु अध्यापक होना आवश्यक है?

➲ हाँ, परम्परागत प्रणाली (Face to Face Mode) से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को पूर्ण करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थी से है।

33. कम्प्यूटर से सम्बन्धित कौन–कौन से कार्यक्रम संचालित हैं?

➲ बी.सी.ए., एम.सी.ए., एम.एस.सी. (कम्प्यूटर साइंस), पी.जी.डी.सी.ए. तथा अन्य सम्बन्धित डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र कार्यक्रम संचालित हैं।

34. क्या पुस्तकालय विज्ञान एवं पत्रकारिता से सम्बन्धित कार्यक्रम भी संचालित हैं?

➲ हाँ, पुस्तकालय विज्ञान में बी.एल.आई.एस. एवं एम.एल.आई.एस. तथा पत्रकारिता में एम.जे., पी.जी.डी.जे.एम.सी., पी.जी.डी.आर.जे.एम.सी., पी.जी.डी.ई.एम.&एफ.पी. एवं सी.आर.जे.एम.सी. कार्यक्रम संचालित हैं।

35. क्या आपके विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में लेटरल इन्ट्री के माध्यम से सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश देने की व्यवस्था है?

➲ हाँ, विश्वविद्यालय द्वारा पी.जी.डी.सी.ए. एवं पी.जी.डी.जे.एम.सी. उपाधि धारकों के लिए एम.सी.ए. और एम.जे. कार्यक्रम के द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश देने की व्यवस्था है।

36. क्या अन्य विश्वविद्यालय के पी.जी.डी.सी.ए. एवं पी.जी.डी.जे.एम.सी. उपाधि धारकों के लिए एम.सी.ए. और एम.जे. कार्यक्रम के द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश देने की व्यवस्था है?

➲ नहीं।

37. क्या पी–एच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश दिया जा रहा है?

➲ हाँ, नियमित मोड में।

38. मैं कृषि विज्ञान में डिग्री करना चाहता हूं, क्या प्रवेश हो सकता है?

➲ नहीं। वर्तमान में कृषि विज्ञान में कोई डिग्री कार्यक्रम संचालित नहीं है।

39. क्या कृषि से सम्बन्धित कोई कार्यक्रम आपके विश्वविद्यालय द्वारा संचालित हैं?

➲ हाँ, कृषि से सम्बन्धित पी.जी. डिप्लोमा, डिप्लोमा, एवं प्रमाण पत्र कार्यक्रम इस विश्वविद्यालय संचालित है।

40. क्या सभी कार्यक्रमों के शुल्क समान है?

➲ नहीं, सभी कार्यक्रमों के शुल्क अलग–अलग हैं। जिसे सूचना विवरणिका अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uprtou.ac.in पर देखा जा सकता है।

41. क्या शुल्क को किश्तों में जमा किया जा सकता है?

➲ नहीं, इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। समस्त शुल्क एक साथ ही वार्षिक आधार पर जमा करना होता है।

42. क्या आपके विश्वविद्यालय में शुल्क मुक्ति का प्रावधान है?

➲ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

43. क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क मुक्ति का कोई प्रावधान है?

➲ किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी के लिए शुल्क मुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है।

44. क्या नकद शुल्क जमा कर प्रवेश प्राप्त किया जा सकता है?

➲ नहीं, नकद शुल्क जमा करने की व्यवस्था नहीं है।

45. फिर शुल्क को किस माध्यम से जमा किया जा सकता है?

➲ केवल बैंक चालान, डेबिड/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ही जमा किया जा सकता है।

46. क्या आपके विश्वविद्यालय में कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए न्यूनतम अवधि के साथ अधिकतम अवधि की भी सुविधा उपलब्ध है?

➲ जी हाँ, किन्तु प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अलग–अलग समय अवधि होती है। जिसे सूचना विवरणिका अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

47. यदि शिक्षार्थी अधिकतम अवधि में कार्यक्रम पूर्ण नहीं कर पाता है, तो क्या उसे उस कार्यक्रम को पूर्ण करने की कोई सुविधा है?

➲ ऐसी स्थिति में शिक्षार्थी को कार्यक्रम की अधिकतम अवधि पूर्ण होने के पश्चात, अगले वर्ष दोबारा पुनः पंजीकरण करवाना होगा। लेकिन शिक्षार्थी को ऐसे मामले में एक वर्ष की अवधि के अन्दर कार्यक्रम पूर्ण करना होगा। जबकि बी.एड. और बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रमों को फिर से पंजीकरण की अनुमति नहीं है।

48. पुनः पंजीकरण हेतु कितना शुल्क देय है?

➲ कार्यक्रम के वर्तमान निर्धारित वार्षिक शुल्क का 20 प्रतिशत।

49. प्रवेश के पश्चात क्या कार्यक्रम एवं विषय परिवर्तन सम्भव है?

➲ हाँ, विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत प्रभारी, प्रवेश अनुभाग को भेजे गये आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा।

50. क्या दो वर्षीय स्नातक उपाधि धारकों को भी स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है?

➲ हाँ।

51. प्रमाण पत्र कार्यक्रमों की शैक्षिक अवधि कितनी है?

➲ छह माह।

52. क्या प्रमाण पत्र कार्यक्रम में भी न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि का प्रावधान है?

➲ हाँ।

53. प्रमाण पत्र कार्यक्रम को पूर्ण करने हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित है?

➲ न्यूनतम अवधि छह माह एवं अधिकतम अवधि दो वर्ष निर्धारित है।

54. क्या शिक्षार्थी को किसी भी चयनित कार्यक्रमों को अधिकतम समय सीमा में पूरा करने का विकल्प है?

➲ हाँ।

55. प्रमाण पत्र कार्यक्रमों में प्रवेश लेने की शैक्षिक योग्यता क्या है?

➲ विभिन्न प्रमाण पत्र कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित योग्यता निम्नवत है –

कार्यक्रम	योग्यता
सी.सी.टी.टी.	जूनियर हाईस्कूल
सी.एफ.डी., सी.टी.डी. एवं सी.आर.जे.एम.सी.	दसवीं पास
सी.सी.सी., सी.सी.एल.ए.	इंटर या बी.टी.ई में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम या 2 वर्षीय आई.टी.आई
अन्य प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	इण्टरमीडिएट

56. क्या समाज विज्ञान एवं मानविकी से सम्बन्धित डिग्री एवं डिप्लोमा कार्यक्रम भी संचालित है?

➲ हाँ

57. कृपया उन कार्यक्रमों के नाम बताइए?

➲ बी.ए. (हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, संस्कृत, दर्शनशास्त्र, उर्दू, शिक्षाशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, योग एवं भूगोल)।

एम.ए. (हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजकार्य समाजशास्त्र, संस्कृत, दर्शनशास्त्र, उर्दू, शिक्षाशास्त्र, सांख्यिकी, योग, भूगोल एवं गृह विज्ञान)।

सुना है आपके यहाँ तीन प्रकार के स्नातक कला कार्यक्रम संचालित हैं?

➲ नहीं, केवल एक सामान्य बी.ए. कार्यक्रम ही संचालित है।

58. क्या विश्वविद्यालय एक ही विषय में स्नातक कार्यक्रम (कला और विज्ञान) में प्रवेश प्रदान करता है?

➲ हाँ, विश्वविद्यालय उन लोगों के लिए एक ही विषय में स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश देता है जो पहले से ही स्नातक हैं।

59. एकल विषय से स्नातक प्रमाणपत्र करने हेतु कितनी अवधि निर्धारित है?

➲ दो वर्ष।

60. क्या आपके विश्वविद्यालय द्वारा जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित है?

➲ हाँ।

61. कौन–कौन से जागरूकता कार्यक्रम संचालित है?

➲ पंचायती राज, योग, डेरी उद्योग, शिशु पालन एवं पोषण, आहार और पोषण, नये भारत में सुशासन, कुम्भ दर्शन, अन्त्योदय, एकात्म मानववाद, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड, बीमा और बैंकिंग सेवाएं इसके साथ ही जम्मू एवं कश्मीर, नागरिकता संशोधन अधिनियम तथा कोविड–19 में जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किया जाता है।

62. जागरूकता कार्यक्रमों में प्रवेश लेने की योग्यता क्या है?

➲ जागरूकता कार्यक्रमों में प्रवेश लेने की योग्यता निम्नवत है:

पंचायती राज तथा डेयरी उद्योग	जूनियर हाईस्कूल
योग, शिशु पालन एवं पोषण तथा आहार और पोषण	हाईस्कूल या समकक्ष
नये भारत में सुशासन, कुम्भ दर्शन, अन्त्योदय, एकात्म मानववाद, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड, बीमा और बैंकिंग सेवाएं, जम्मू एवं कश्मीर, नागरिकता संशोधन अधिनियम तथा कोविड–19	इण्टर या समकक्ष

63. जागरूकता कार्यक्रम की शैक्षिक अवधि कितनी होगी?

➲ तीन माह।

64. क्या जागरूकता कार्यक्रमों के लिए भी न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि की सुविधा का प्रावधान है?

➲ हाँ, न्यूनतम अवधि तीन माह एवं अधिकतम अवधि एक वर्ष निर्धारित है।

65. क्या जागरूकता कार्यक्रमों में अधिन्यास कार्य आवश्यक है?

➲ हाँ, जागरूकता कार्यक्रमों के लिए अधिन्यास कार्य आवश्यक है क्योंकि इसमें कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं होती है।

66. क्या अगले सत्र में नये कार्यक्रमों को शुरू करने की योजना है?

➲ हाँ, विश्वविद्यालय द्वारा अगले सत्र में कुछ और नये कार्यक्रम शुरू करने की योजना है।

67. परिचय पत्र खो जाने पर क्या उसकी दूसरी प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है?

➲ नहीं।

68. परिचय पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए कितना शुल्क देय है ?

➲ रू. 100 मात्र।

4. स्व-अध्ययन सामग्री
(Self-Learning Materials)

1. स्व–अधिगम सामग्री क्या है?

➲ स्व–अधिगम सामग्री विषय विशेषज्ञों द्वारा लिखित होती हैं यह सरल एवं सुगम भाषा में लिखी होती है। जिससे शिक्षार्थी बिना अध्यापक की सहायता लिए इसे पढ़कर अपने ज्ञान में अभिवृद्धि कर सकता है। इसलिए दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा पद्धति में स्व–अधिगम सामग्री को अध्यापक का पूरक माना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि स्व–अध्ययन सामग्री मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की रीढ़ और ज्ञानार्जन का सशक्त माध्यम है।

2. स्व–अधिगम सामग्री किस भाषा में उपलब्ध कराई जाती है?

➲ अधिकांश कार्यक्रमों में हिन्दी में एवं कुछ कार्यक्रमों में अंग्रेजी भाषा में शिक्षार्थी की मांग के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है।

3. बी.ए. एम.ए. एवं बी.एस.सी. की पाठ्यसामग्री किस माध्यम में उपलब्ध है?

➲ हिन्दी एवं/या अंग्रेजी माध्यमों में पाठ्यसामग्री उपलब्ध कराई जाती है।

4. क्या स्व–अध्ययन सामग्री पुस्तक विक्रताओं के पास बाजार में भी उपलब्ध है?

➲ नहीं

5. क्या स्व–अध्ययन सामग्री को सॉफ्ट कापी में भी उपलब्ध कराया जाता है?

➲ हाँ, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सॉफ्ट कापी उपलब्ध है जिसको प्राप्त किया जा सकता है– http://www.uprtou.ac.in/sha-name-download-form12.php

6. क्या इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है?

➲ हाँ।

7. पाठ्य सामग्री के अलावा क्या पाठ्यक्रम भी विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है?

➲ नहीं। लेकिन सम्बन्धित पाठ्यसामग्री का सिलेबस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है।

8. क्या स्व–अध्ययन सामग्री पाठ्यक्रम के अनुसार है?

➲ हाँ। स्व–अध्ययन सामग्री में दी गयी विषय वस्तु पाठ्यक्रम के अनुसार ही लिखी गयी है।

9. क्या पाठ्यसामग्री में अभ्यास के प्रश्न भी समाहित है?

➲ हाँ।

10. क्या पाठ्यपुस्तक की भांति स्व–अध्ययन सामग्री में अभ्यास से सम्बन्धित प्रश्न दिए जाते हैं?

➲ स्व–अधिगम सामग्री में प्रत्येक इकाई के बाद विषयवस्तु से सम्बन्धित प्रश्न आपके अभ्यास के लिए दिए गये हैं।

11. स्व–अधगम सामग्री के अतिरिक्त यदि शिक्षार्थी अन्य पुस्तकों से अध्ययन कना चाहता है तो क्या आपके द्वारा सन्दर्भ पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराई जाती है?

➲ नहीं, बल्कि स्व–अधिगम सामग्री के प्रत्येक अध्याय के अन्त में सन्दर्भ पुस्तकों के नाम प्रकाशक सहित दिए गये हैं।

12. क्या कार्यक्रम की समाप्ति के बाद स्व–अधिगम सामग्री विश्वविद्यालय को वापस करनी होती है?

➲ नहीं।

13. पाठ्य सामग्री किस माध्यम से आप मुझे उपलब्ध कराएंगे?

➲ प्रत्येक शिक्षार्थी को रजिस्टर्ड डाक के द्वारा पाठ्य सामग्री उनके निवास स्थान पर प्रेषित कराई जाती है।

14. यदि पाठ्य सामग्री सम्बन्धी कुछ जिज्ञासा हो तो उसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त हो सकती है?

➲ विश्वविद्यालय में स्थापित स्व–अधिगम सामग्री अनुभाग के प्रभारी एवं उसमें कार्यरत कर्मचारियों के माध्यम से सूचना प्राप्त की जा सकती है।

15. पाठ्य सामग्री का कार्यालय कहाँ स्थित है?

➲ विश्वविद्यालय मुख्य (गंगा) परिसर, शान्तीपुरम् सेक्टर–एफ, फाफामऊ, प्रयागराज 211021, उ.प्र.।

16. शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री अनुभाग में कैसे सम्पर्क करेगें?

➲ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल नम्बर के माध्यम से शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री अनुभाग में सम्पर्क कर सकते है जिसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।

5. अधिन्यास
(Assignment)

1. अधिन्यास क्या है?

➲ अधिन्यास मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति में शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य द्विमार्गी सम्प्रेषण स्थापित करने का सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रभावी माध्यम एवं सीखने की विधा है। शिक्षण सत्र के दौरान किसी निश्चित समयावधि में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा शिक्षार्थी के ज्ञान में हुए परिवर्तन का मापन एवं मूल्यांकन करने वाले उपकरण को अधिन्यास कहते हैं। परम्परागत शिक्षा प्रणाली में शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच आमने–सामने बैठकर अन्तःक्रिया सम्पन्न होती है। जबकि इस शिक्षा प्रणाली में शिक्षार्थी एवं परामर्शी के मध्य भौगोलिक दूरी के कारण शैक्षिक प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों से ही सम्भव है। छात्रों द्वारा अधिन्यास कार्य को पूरा करना एवं अध्यापक द्वारा उस पर की गयी टिप्पणियां इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। अधिन्यास के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है कि शिक्षार्थीको उस विषय को बोध हो चुका है, जो उन्हें पाठ्यसामग्री द्वारा सीखने और समझने के लिए दी गई थी। वास्तव में , अधिन्यास मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में शिक्षण अधिगम का वह साधन है, जो अनुभवों को दृढ़ता प्रदान करने, प्रोत्साहन देने व निर्देशित करने का आधार प्रस्तुत करता है।

2. अधिन्यास कार्य शिक्षार्थी को क्यों दिया जाता है?

➲ इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो स्व–अध्ययन सामग्री शिक्षार्थी को दी गई है, उसका बोध उन्हें हो चुका है। साथ ही साथ परीक्षा से पूर्व तैयारी का अवसर प्रदान करना एवं शिक्षार्थी को अपने शैक्षिक स्तर का स्व मूल्यांकन करने के लिए अवसर प्रदान करना है। इसके माध्यम से शिक्षार्थी अपने अध्ययन का आंकलन कर संतुष्ट होता है और उसे ज्ञात होता है कि सत्रान्त परीक्षा के लिए उसे अभी कितना स्वाध्याय करना है।

3. अधिन्यास कार्य में किस प्रकार के प्रश्न समाहित होते हैं?

➲ दीर्घ उत्तरीय एवं लघु उत्तरीय।

4. अधिन्यास कार्य के लिए कितने अंक आबंटित है?

➲ 30 अंक।

5. अधिन्यास प्रश्न पत्र में दीर्घ उत्तरीय एवं लघु उत्तरीय प्रश्नों की कितनी संख्या होती है?

➲ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या तीन एवं लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या छह होती है।

6. अधिन्यास उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के पश्चात् क्या मुझे वापस कर दी जायेगी?

➲ हाँ, आवश्यक टिप्पणी करते हुए वापस कर दिये जाने का प्राविधान है।

7. अधिन्यास कार्य पर किस प्रकार की टिप्पणी दी जाती है?

➲ शिक्षार्थी के उत्तर के अनुसार सकारात्मक, रचनात्मक, वैयक्तिक, सामूहिक एवं नकारात्मक टिप्पणी परामर्शदाताओं द्वारा अधिन्यास पुस्तिका पर लिखी जाती है।

8. इस टिप्पणी की क्या उपयोगिता है?

➲ परामर्शदाता द्वारा दी गई टिप्पणी के आधार पर शिक्षार्थी अपनी शैक्षिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर उसमें और अधिक सुधार हेतु अभिप्रेरित होते हैं।

9. अधिन्यास प्रश्न पत्र हमें कहाँ से प्राप्त होंगे?

➲ अधिन्यास प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट http://www.uprtou.ac.in पर उपलब्ध है जिसे डाउनलोड सेक्शन से डाउनलोड किया जा सकता है।

6. परामर्श सत्र
(Counselling Session)

1. परामर्श सत्र क्या है?

➲ इस विधा में परम्परागत विधाओं के समान शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य आमने–सामने बैठकर शिक्षण कार्य नहीं करना होता। बल्कि पूर्व में निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित समस्याएं छात्रों द्वारा परामर्शदाताओं के सामने रखी जाती हैं। जिसका समाधान परामर्शदाता के माध्यम से परामर्श सत्रों में किया जाता है।

2. क्या यहाँ नियमित कक्षाएं चलती हैं?

➲ नहीं।

3. कक्षाएं कब–कब संचालित होती है?

➲ कक्षाएं नहीं बल्कि छात्र/छात्राओं की सुविधा के अनुसार परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाता है।

4. एक परामर्श सत्र कितने घण्टे का होता है?

➲ परामर्श सत्र दो घण्टे का होता है।

5. जब नियमित कक्षाएं/परामर्श सत्र संचालित नहीं होते तो पाठ्यक्रम निश्चित अवधि में कैसे समाप्त होते हैं?

➲ स्व–अध्ययन पाठ्य सामग्री के माध्यम से एवं अधिन्यास कार्य के द्वारा।

6. एक प्रश्न पत्र के लिए लगभग कितनी परामर्श कक्षाएं संचालित होती हैं?

➲ आपका पाठ्यक्रम क्रेडिट पद्धति पर आधारित है। क्रेडिट के अनुसार ही परामर्श सत्रों की संख्या निर्धारित है।

7. परामर्श सत्रों के संचालन की जानकारी मुझे कैसे प्राप्त होगी?

➲ अध्ययन केन्द्र के समन्वयक से दूरभाष पर वार्ता कर एवं अध्ययन केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर चस्पा समय–सारिणी को देखकर।

8. क्या प्रयोगात्मक कार्य वाले विषयों के लिए भी इतनी ही परामर्श कक्षाएं आयोजित होती हैं?

➲ नहीं, इसके लिए कुछ अलग से कक्षाएं चलाने का प्रावधान है।

7. क्रेडिट प्रणाली

1. क्रेडिट क्या है?

➲ अध्ययन मनन हेतु अनुमन्य समय का निर्धारण ही क्रडिट है।

2. एक क्रेडिट हेतु अध्ययन के लिए कितना समय निर्धारित है?

➲ 30 घण्टे।

3. यदि मेरा प्रश्न पत्र 8 क्रेडिट का है तो मुझे कितने घण्टे एवं कितने परामर्श सत्र अध्ययन हेतु निर्धारित है?

➲ 240 घण्टे में ही 9 से 12 परामर्श सत्र अध्ययन हेतु निर्धारित है।

4. इसका अर्थ हुआ कि 8 क्रेडिट के कार्यक्रम के परामर्श सत्र के लिए केवल 240 घण्टे ही निर्धारित है?

➲ हाँ।

5. 240 घण्टे में पाठ्यक्रम कैसे पूर्ण होता है?

➲ परामर्श सत्र के अतिरिक्त आपको स्व अध्ययन, ऑडियो–विडियो एवं अधिन्यास कार्य के माध्यम से घर पर ही शिक्षा ग्रहण कर पाठ्यक्रमों को पूर्ण करना होता है।

8. परीक्षा

1. सुना है, आपके विश्वविद्यालय में एक सत्र में दो बार परीक्षा आयोजित कराई जाती है?
➲ हाँ, आपने सही सुना है।
2. ये परीक्षाएं कब–कब आयोजित की जाती है?
➲ दिसम्बर एवं मई के अन्तिम सप्ताह में।
3. वर्ष में दो परीक्षाएं क्यों कराई जाती है?
➲ हमारे कार्यक्रमों के सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित होने के कारण।
4. परीक्षा देने हेतु क्या परीक्षा फार्म भरने होते है?
➲ नहीं।
5. बिना परीक्षा फार्म भरे ही क्या आप परीक्षा करा लेते है?
➲ प्रवेश के समय ही हम शिक्षार्थियों से परीक्षा फार्म भरवा लेते हैं और प्रवेश शुल्क के साथ ही परीक्षा शुल्क भी ले लिया जाता है।
6. परीक्षा की समय–सारिणी कब तक प्राप्त हो जाती है?
➲ परीक्षा प्रारम्भ होने से लगभग 15 दिन पहले।
7. परीक्षा की समय–सारिणी कहाँ–कहाँ से प्राप्त की जा सकती है?
➲ विश्वविद्यालय की वेबसाइट http://www.uprtou.ac.in से प्राप्त की जा सकती है।
8. प्रवेश पत्र कहाँ से प्राप्त किये जा सकते है?
➲ इसे भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट http://www.uprtou.ac.in से प्राप्त किया जा सकता है।
9. यदि मैं किसी प्रश्न पत्र की परीक्षा इस सत्र में न देना चाहूँ तो क्या मेरा पूरा सत्र खराब हो जायेगा?
➲ नहीं।
10. फिर मुझे क्या करना होगा?
➲ उसमें आपका बैक पेपर हो जायेगा। आप अगले सत्र की परीक्षा के साथ इसे भी दे सकते हैं।
11. क्या बैक पेपर की फीस भी निर्धारित है?
➲ हाँ, प्रति प्रश्न पत्र रू. 400 मात्र।
12. क्या आपके विश्वविद्यालय में पुनः मूल्यांकन का भी प्रावधान है?
➲ हाँ। यदि कोई शिक्षार्थी किसी प्रश्न पत्र के मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं है तो निर्धारित शुल्क जमा करके वो यह सुविधा प्राप्त कर सकता है।
13. यदि मुझे लगता है कि किसी प्रश्न पत्र में मुझे कम अंक मिले हैं तो उसके लिए किस प्रकार की सुविधाा उपलब्ध है?
➲ परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक माह के अन्दर रू. 200 मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कर आप अपनी उत्तर पुस्तिका की संविक्षा (स्क्रूटनी) करा सकते हैं।
14. सत्रान्त परीक्षा का मूल्यांकन कितने अंकों का होता है?
➲ 70 अंकों का।
15. इस विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी कार्यक्रम को उत्तीर्ण करने के लिये उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है?
➲ 36 प्रतिशत।
16. क्या अधिन्यास एवं सत्रांत परीक्षा के अंक को जोड़कर 36 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होता है?
➲ नहीं, दोनों में अलग–अलग 36 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होता है।
17. इस विश्वविद्यालय द्वारा क्या उपाधि भी प्रदान की जाती है?
➲ हाँ।
18. उपाधि कब प्रदान की जाती है?
➲ दीक्षान्त समारोह के उपरान्त एवं उससे पूर्व अस्थाई उपाधि प्रदान की जाती है।
19. छात्रों को दी जाने वाली उपाधियों के सत्यापन की प्रक्रिया क्या है?
➲ विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत उपाधियाँ, डिप्लोमा व सर्टिफिकेट का सत्यापन केवल संबंधित विश्वविद्यालय के प्राधिकारी द्वारा किया जाता है इसलिए उपाधियों के सत्यापन की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की है।

9. परियोजना कार्य
(Project Work)

1. क्या इस विधा से अध्ययन करने के लिए परियोजना कार्य करना आवश्यक है?

➲ सभी में नहीं। परन्तु जिन कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम में परियोजना कार्य निहित है उनमें शिक्षार्थियों को परियोजना कार्य पूर्ण करना आवश्यक है।

2. परियोजना कार्य का आबंटन कौन करता है।

➲ परियोजना कार्य का आबंटन विषय विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है।

3. क्या सभी शिक्षार्थियों के परियोजना कार्य एक समान होते हैं?

➲ नहीं।

4. क्या परियोजना कार्य शिक्षार्थी को स्वयं करना होता है?

➲ हाँ, इसके लिये आपको किसी सुपरवाइजर की देख–रेख में इस कार्य को पूर्ण करना होता है।

5. परियोजना कार्य का विषय किस पर आधारित होता है?

➲ परियोजना कार्य का विषय आपके चयनित पाठ्यक्रम के अनुसार वास्तविक जीवन की समस्याओं पर आधारित होता है।

6. परियोजना कार्य का विषय कौन निर्धारित करता है?

➲ परियोजना कार्य का विषय शिक्षार्थी अपने सुपरवाइजर की सलाह एवं सहमति के अनुसार निर्धारित करता है।

7. परियोजना कार्य कम से कम कितने पृष्ठ का होना चाहिए?

➲ लगभग 20–25 पृष्ठों का।

8. परियोजना कार्य का मुद्रण कितने प्रतियों में करवाना होता है?

➲ चार प्रतियों में।

9. अध्ययन केन्द्र पर परियोजना कार्य की कितनी प्रतियाँ जमा करनी होती है?

➲ तीन प्रतियाँ।

10. परियोजना कार्य का सुपरवाइजर कौन होता है?

➲ आपकी परामर्श कक्षाओं को लेने वाले शिक्षक या अन्य अर्ह सुपरवाइजर।

11. एक सुपरवाइजर की देख–रेख में कितने शिक्षार्थी परियोजना कार्य कर सकते हैं?

➲ कम्प्यूटर सम्बन्धित कार्यक्रमों को छोड़कर शेष कार्यक्रमों मे दस शिक्षार्थी।

12. एक सुपरवाइजर के अन्तर्गत कम्प्यूटर के कितने शिक्षार्थी नामांकित हो सकते हैं?

➲ पाँच शिक्षार्थी।

13. परियोजना कार्य का आन्तरिक मूल्यांकन कितने अंकों का होता है।

➲ सामान्यतः 30 अंकों का (कम्प्यूटर कार्यक्रमों को छोड़कर)।

14. इसका मतलब 70 अंक बाह्य मूल्यांकन के लिए निर्धारित है?

➲ हाँ।

15. क्या इस परियोजना कार्य का मौखिक परीक्षा एवं प्रस्तुतीकरण भी करवाया जाता है?

➲ कुछ कार्यक्रमों में आवश्यकतानुसार मौखिक परीक्षा एवं प्रस्तुतीकरण का भी प्रावधान है।

10. सेवा स्थापना
(Placement Cell)

1. क्या आपके विश्वविद्यालय में सेवा स्थापना प्रकोष्ठ भी है?

➲ हाँ।

2. इससे सम्बन्धित सूचना कहाँ से प्राप्त की जा सकती है?

➲ सेवा स्थापना प्रकोष्ठ की वेबसाइट http://www.uprtou.ac.in/placementcell.php एवं प्रभारी के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

3. क्या आपके विश्वविद्यालय के शिक्षार्थी कैम्पस सेलेक्शन द्वारा चयनित हुए हैं?

➲ हाँ।

4. किन–किन कार्यक्रमों में प्लेसमेंट की संभावनाएं होती है?

➲ व्यवसाय परक एवं रोजगार परक कार्यक्रमों जैसे – एम.बी.ए., एम.सी.ए., एम.जे., पी.जी.डी.सी.ए., बी.एड. एवं बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) आदि कार्यक्रमों में।

11. उपलब्ध सुविधाएँ

1. प्रवेश के पश्चात क्या कार्यक्रम एवं विषय परिवर्तन की सुविधा भी उपलब्ध है?

➲ हाँ।

2. कार्यक्रमम एवं विषय परिवर्तन हेतु कितना शुल्क लिया जाता है?

➲ कार्यक्रम परिवर्तन के लिए रू. 1000 मात्र एवं विषय परिवर्तन हेतु रू. 500 मात्र शुल्क लिया जाता है।

3. प्रवेश लेने के पश्चात कार्यक्रम एवं विषय परिवर्तन के लिए क्या कोई समय सीमा भी निर्धारित है?

➲ जुलाई सत्र के शिक्षार्थी के लिए 30 अक्टूबर एवं जनवरी सत्र के शिक्षार्थी के लिए 30 मार्च तक ही कार्यक्रम एवं विषय परिवर्तन हेतु समय निर्धारित है।

4. प्रवेश लेने के पश्चात शिक्षार्थी परामर्श कक्षाएं कहाँ चलती है?

➲ विश्वविद्यायल में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विद्याशाखाओं में एवं अध्ययन केन्द्रों पर परामर्श कक्षाएँ संचालित होती है।

5. इस संस्था में प्रवेश लेने पर और क्या सुविधाएं उपलब्ध है?

➲ प्रवेश के पश्चात पढ़ने के लिए स्व–अध्ययन सामग्री, अधिन्यास प्रश्न पत्र एवं अध्ययन के लिए पुस्तकालय की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है।

6. स्व–अध्ययन सामग्री के लिए कितना शुल्क देना होता है?

➲ कोई शुल्क देय नहीं है।

7. इसका तात्पर्य यह है कि प्रवेश में ही इसका शुल्क समाहित है?

➲ हाँ।

8. प्रवेश के कितने दिन के पश्चात स्व अध्ययन सामग्री प्राप्त हो जाती है?

➲ एक माह के अन्दर।

9. प्रवेश के पश्चात क्या तुरन्त स्व अध्ययन सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकती, जिससे अध्ययन शुरू किया जा सके?

➲ नहीं। क्योंकि निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अध्ययन सामग्री डाक द्वारा प्रेषित की जाती है।

10. स्व अध्ययन सामग्री एवं अधिन्यास कार्य के अतिरिक्त ज्ञान वृद्धि हेतु अन्य कौन–कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं?

➲ इनके अतिरिक्त परामर्श सत्रों का संचालन, वाद–विवाद, विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान, कार्यशालाएं, कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा ज्ञानवाणी आदि कार्यक्रमों के माध्यम से अनेक सुविधाएं शिक्षार्थियों के ज्ञान में अधिवृद्धि हेतु उपलब्ध कराई जाती है।

11. क्या अध्ययन केन्द्र तथा परीक्षा केन्द्र परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध है?

➲ हाँ।

12. परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हेतु शुल्क कब देना होता है?

➲ परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह पूर्व तक।

13. दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से प्राप्त डिग्री के आधार पर केन्द्रीय सरकार में नौकरियों के लिए पात्रता का मापदण्ड क्या है?

➲ एम.एच.आर.डी के राजपत्र अधिसूचना संख्या 6–1 /2013 दिनांक 10.06.2015 (दिनांक 25.07.2015 को राजपत्र में प्रकाशित) ने अधिसूचित किया है कि तकनीकी शिक्षा की डिग्री / डिप्लोमा सहित सभी डिग्री / डिप्लोमा /प्रमाणपत्र शिक्षा के मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। संसद और राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों द्वारा, संस्थानों को यू.जी.सी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय माना जाता है और संसद के अधिनियम के तहत घोषित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान स्वचालित रूप से पदों और सेवाओं के लिए रोजगार के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त हैं। केंद्र सरकार के तहत, बशर्ते उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित किया गया हो। उपरोक्त अधिसूचना एम.एच.आर. डी. की वेबसाइट पर निम्न लिंक पर प्रदर्शित की गई है:

http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Notification10062015.pdf

12. विश्वविद्यालय परिसर

1. विश्वविद्यालय का पुस्तकालय किस परिसर में स्थित है?

➲ विश्वविद्यालय का पुस्तकालय सरस्वती परिसर (शैक्षणिक परिसर), फाफामऊ में स्थित है।

2. पुस्तकालय में किस प्रकार की सुविधा है?

➲ पुस्तकालय में किसी भी पुस्तकों, पत्रिकाओं और शोध का अध्ययन करने की सुविधा है।

3. पुस्तकालय में किस प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हैं?

➲ पुस्तकालय में पाठ्यक्रम से सम्बन्धित प्रत्येक विषयों की पुस्तकें, पत्रिकाएं तथा शोध जर्नल उपलब्ध है।

4. विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है?

➲ सेक्टर–एफ, शान्तीपुरम, फाफामऊ, प्रयागराज–211021।

5. कृपया इसका पता विस्तार से बताएं।

➲ विश्वविद्यालय का मुख्यालय गोहरी रोड, आर.ए.एफ. के सामने, सेक्टर–एफ, शान्तीपुरम, फाफामऊ, प्रयागराज–211021 में स्थित है।

6. विश्वविद्यालय का मुख्यालय रेलवे स्टेशन एवं रोडवेज बस अड्डे से कितनी दूर पड़ता है?

➲ रेलवे स्टेशन एवं बस अड्डे से इसकी दूरी करीब–करीब समान है। लगभग 12 कि0मी0 की दूरी पर विश्वविद्यालय का मुख्यालय लखनऊ रोड पर शान्तिपुरम चौराहे से लगभग 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

7. क्या पूरा विश्वविद्यालय एक ही परिसर में स्थित है?

➲ नहीं।

8. विश्वविद्यालय का परिसर कहाँ–कहाँ स्थित है?

➲ विश्वविद्यालय का गंगा परिसर (प्रशासनिक भवन) एवं सरस्वती परिसर (शैक्षणिक भवन) सेक्टर–एफ जबकि यमुना परिसर (क्षेत्रीय केन्द्र) सेक्टर–बी शान्तीपुरम में स्थित है।

9. प्रवेश अनुभाग, प्रयागराज में कहाँ स्थित है?

➲ प्रवेश अनुभाग, विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर (गंगा परिसर), प्रयागराज में स्थित है।

10. बस अड्डे एवं रेलवे स्टेशन से विश्वविद्यालय मुख्यालय जाने के लिए कौन से साधन सुलभ है?

➲ बस अड्डे एवं रेलवे स्टेशन से विश्वविद्यालय मुख्यालय जाने के लिए विक्रम, टैक्सी, आटो रिक्शा एवं महानगर बस सेवा हर समय उपलब्ध है।

13. सूचना के श्रोत

1. विश्वविद्यालय की विस्तृत जानकारी हेतु सूचना कहाँ से प्राप्त की जा सकती है?

➲ विश्वविद्यालय की वेबसाइट, प्रवेश सूचना विवरणिका, सम्बन्धित विद्याशाखा, विश्वविद्यालय के अनुभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों, अध्ययन केन्द्रों एवं व्यक्तिगत सम्पर्क से प्राप्त की जा सकती है।

2. प्रशासनिक जानकारी हेतु विश्वविद्यालय में किससे सम्पर्क किया जा सकता है?

➲ विश्वविद्यालय मुख्य परिसर के प्रशासनिक अनुभाग में।

3. इसका फोन नम्बर और ईमेल पता क्या है?

➲ 7525048031, registrar.uprtou@gmail.com

4. परीक्षा से सम्बन्धित जानकारी किससे प्राप्त की जा सकती है?

➲ परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से।

5. इसका ईमेल पता क्या है?

➲ coe@uprtou.ac.in

6. अधिन्यास एवं परामर्श से सम्बन्धित जानकारी कहाँ से प्राप्त की जा सकती है?

➲ विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्याशाखाओं एवं परामर्श प्रकोष्ठ से।

7. पाठ्य सामग्री से सम्बन्धित यदि कोई जानकारी हो तो उसे कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है?

➲ विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में स्थित पाठ्य सामग्री अनुभाग से।

8. इसका फोन नम्बर क्या है?

➲ 7525048032

9. वित्त कार्यालय का फोन नम्बर क्या है?

➲ 7525048061, 7525048062

10. प्रवेश से सम्बन्धित जानकारी कहाँ से प्राप्त की जा सकती है?

➲ प्रवेश अनुभाग से।

11. इसका फोन नम्बर और ईमेल पता क्या है?

➲ 7525048101, uprtouadmission@gmail.com

12. विभिन्न शहरों में स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों के पते एवं दूरभाष नम्बर क्या है?

➲

क्र0 सं0	क्षेत्रीय कार्यालय	क्षेत्रीय समन्वयक / शैक्षणिक परामर्शदाता का नाम	क्षेत्रीय कार्यालय का पता एवं दूरभाष नम्बर
1.	प्रयागराज	डॉ. अभिषेक सिंह (भूगोल)	यमुना परिसर, सेक्टर–बी, निकट कांशीराम आवास योजना, शान्तिपुरम्, प्रयागराज–211021, मो0–7525048030,7525048123, rcald@uprtou.ac.in
2.	वाराणसी	डॉ. सन्तोष कुमार सिंह	D-59/32, सिगरा, RS महमूरगंज, वाराणसी–221010, दूरभाश–0542 –2360180, मो0 – 7525048044, uprtouvns@gmail.com
3.	गोरखपुर	श्री प्रवीन कुमार (शिक्षाशास्त्र)	नहर रोड, मकान नं. 549 मोहद्दीपुर, (पावर हाउस वाली गली), गोरखपुर–273001, फोन– 0551–2200330, मो0–7525048040, 7525048126, rcgprakhpuruprtou@yahoo.in
4.	लखनऊ	डॉ. नीरांजलि सिन्हा (इतिहास)	सेक्टर 10ए/INS04 वृन्दावन योजना, लखनऊ – 226022 फोन–0522–2333764,7525048020,7525048108 rc.uprtou8545@gmail.com
5.	बरेली	डॉ. आर. बी. सिंह (रसायन विज्ञान)	147–ए, सिविल लाइन्स, सर्किट हाउस चौराहा, इलाहाबद बैंक के सामने, बरेली – 243001, मो. 7525048025 rcbare@uprtou.ac.in
6.	मेरठ	डॉ. पूनम गर्ग (अर्थशास्त्र)	इस्माइल नेशनल महिला पी.जी. कालेज, बुढ़ाना गेट, मेरठ, उ.प्र.–250002, मो0 – 9412207923, rcmeerut@yahoo.in
7.	आगरा	डॉ. रेखा सिंह (भौतिक विज्ञान)	वार्डन आवास, आर. बी. एस. कालेज, खंदारी, आगरा – 282002 मो0–7525048045, rcagra@uprtou.ac.in
8.	नोएडा / गाजियाबाद	डॉ. कविता त्यागी (हिन्दी)	प्रेरणा जनसंचार एवं षोध संस्थान, सी–56 / 20 सेक्टर–62 नोएडा, फोन–0120–4127672, मो0 9999752457, rgzb@uprtou.ac.in
9.	झांसी	डॉ. रेखा त्रिपाठी (संस्कृत)	D17-M2 वीरांगना नगर, पिछौर, झाँसी–284128, फोन–7525048147, rcjhansi@uprtou.ac.in
10.	कानपुर	डॉ. शुचिता चतुर्वेदी	1318 F, W-2, जूही कला, दामोदर नगर, कानपुर–208027,

		(समाजशास्त्र)	मो.– 7525048145 rcknp10@gmail.com
11.	फैजाबाद	डॉ. शशिभूषण राम त्रिपाठी (भूगोल)	बी.एन.एस. गर्ल्स डिग्री कालेज, बाईपास परिक्रमा मार्ग, जनोरा, फैजाबाद, मो0– 9452063609 dr.shasibrtripathi@gmail.com
12	आजमगढ़	डॉ. श्याम दत्त दुबे (भूगोल)	मूसेपुर,, पराग डेरी के पास, आजमगढ़ , मो0 7459815555, shyamduttdubey@gmail.com

13. यदि माननीय कुलपति महोदय से सम्पर्क करना हो तो उसकी क्या प्रक्रिया है?

➲ कुलपति कार्यालय के दूरभाष पर वार्ता कर, समय प्राप्त करने के पश्चात ही सम्पर्क किया जा सकता है।

14. कुलपति कार्यालय का फोन नम्बर क्या है?

➲ 0532–2447028

15. कुलपति कार्यालय का फैक्स नम्बर क्या है?

➲ 0532–2447032

16. शैक्षिक कार्यक्रमों की जानकारी कहाँ से प्राप्त की जा सकती है?

➲ सम्बन्धित विद्याशाखा से व्यक्तिगत सम्पर्क करके एवं सूचना विवरणिका में अंकित दूरभाष नम्बरों के माध्यम से वार्ता करके सूचना प्राप्त की जा सकती है।

17. कृपया विश्वविद्यालय की वेबससाइट का नाम बताने का कष्ट करें?

➲ www.uprtou.ac.in .

18. क्या विश्वविद्यालय में कोई हेल्पलाइन/छात्र शिकायत निवारण स्थापित किया गया है?

➲ हाँ, विश्वविद्यालय के लिंक http://admission.onlineuprtou.in/grievancemanagements. से किया जा सकता है।

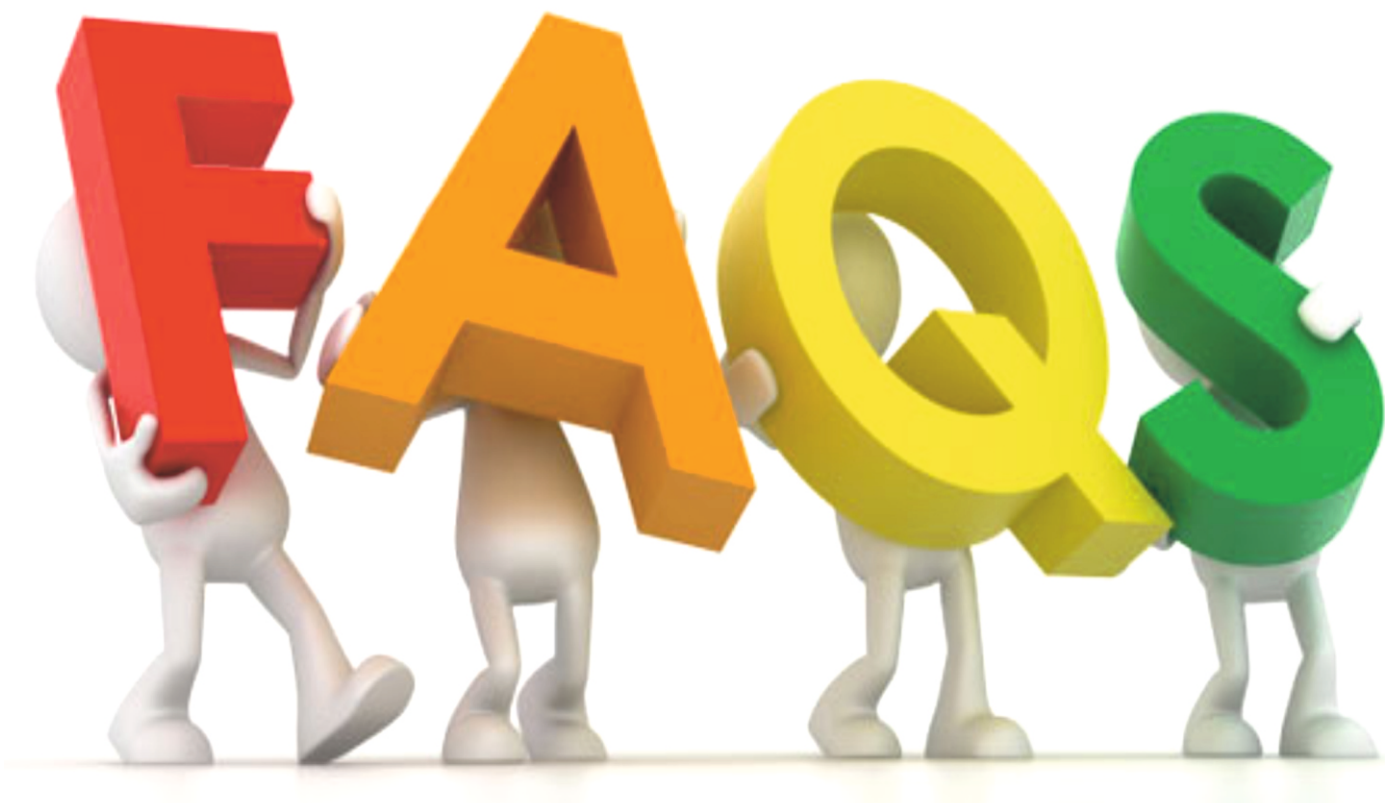

नामांकन, अध्ययन केन्द्र एवं कार्यक्रम में वृद्धि

Session wise Students Enrollment

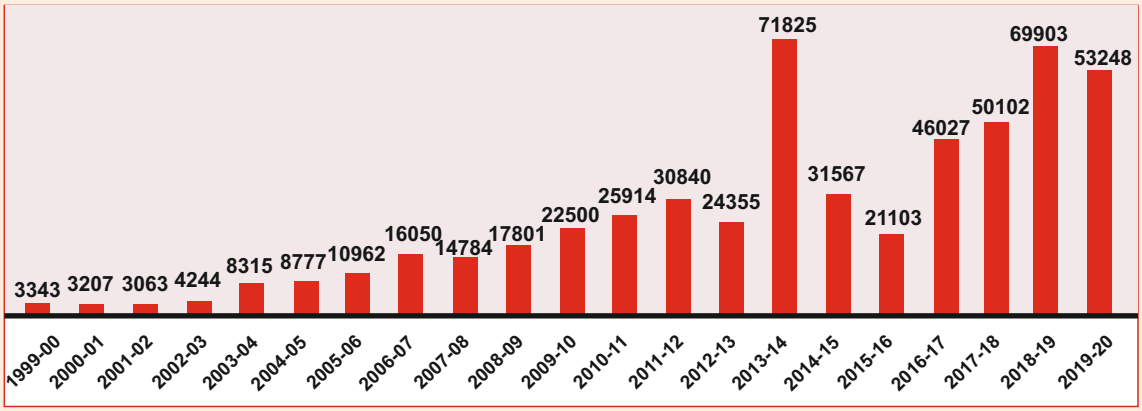

Session wise Number of Study Centers

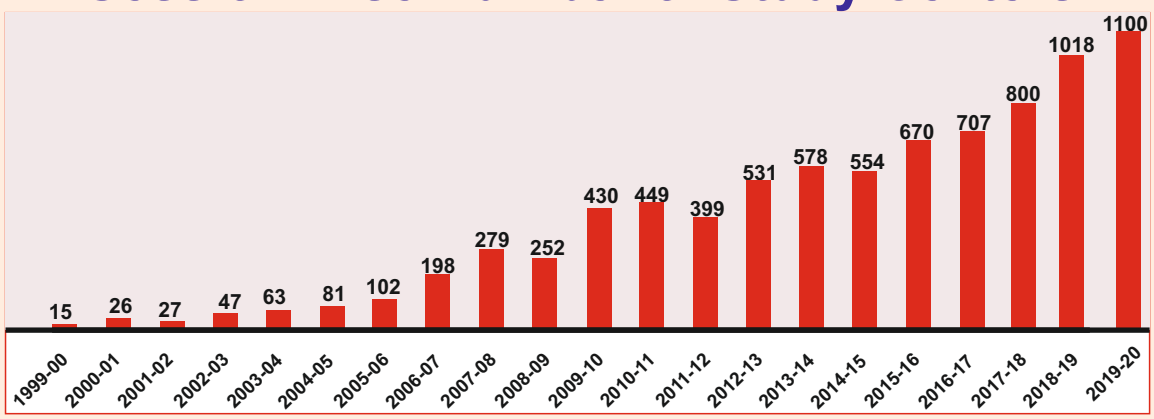

Session wise Number of Programme

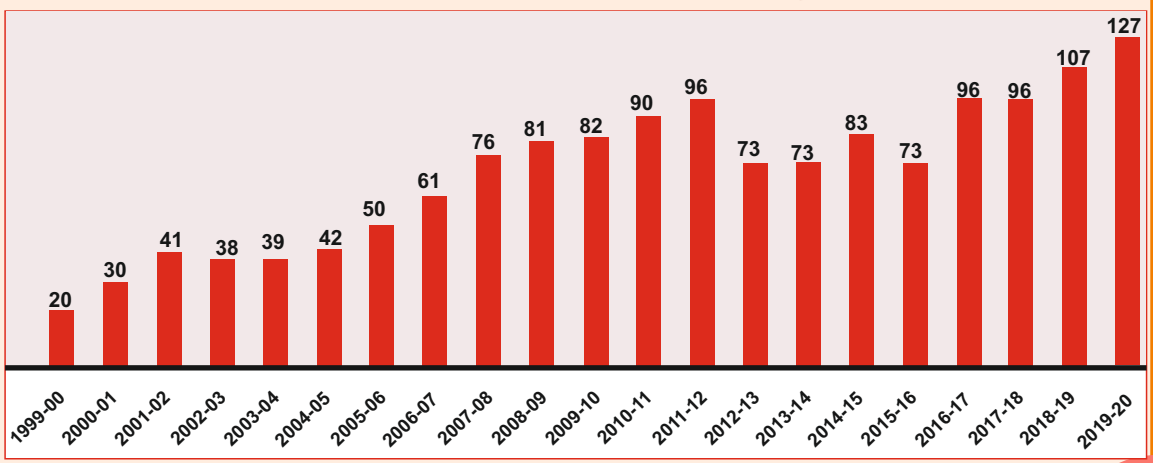

उ.प्र.राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज

॥ सरस्वती नः सुभगा मयस्कत् ॥